

भाग-5

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य अधिकारी को अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) के अन्तर्गत जनपद बुलन्दशहर में दिल्ली-कानपुर मार्ग (एन०एच०-91) के किमी० 60 (चैनेज 59.180) की दांयी पटरी के किनारे ग्राम लालपुर के खसरा संख्या-165 में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो० लि० के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.1689245 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/अदर्स/30840/2017)

राज्य सरकार की सिफारिशें - पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-2131/81-2-2023-800(131)/2023 दिनांक 17 अगस्त 2023 के द्वारा प्रस्तुत पर संस्तुति सहित अनुमोदनार्थ अग्रसारित।

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकृत टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।

हस्ताक्षर

Signed by आशीष तिवारी

Date: 17-08-2023 13:23:06

Reason: Approved

()

नाम और पदनाम सरकारी मोहर सहित
(आशीष तिवारी)

सचिव,

पर्यावरण, वन एवं
जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

I/370315/2023

संख्या-2131/81-2-2023-800(131)/2023

प्रेषक,

आशीष तिवारी
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, अलीगंज, लखनऊ।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 17 अगस्त 2023

विषय- कार्यापरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) के अन्तर्गत जनपद बुलन्दशहर में दिल्ली-कानपुर मार्ग (एन0एच0-91) के किमी0 60 (चैनेज 59.180) की दांयी पटरी के किनारे ग्राम लालपुर के खसरा संख्या-165 में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो0 लि0 के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.1689245 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/अदर्स/30840/2017)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-2991/11-सी-एफपी/यूपी/अदर्स/30840/2017 दिनांक 20.03.2023 एवं पत्र संख्या-69/11-सी-एफपी/यूपी/अदर्स/30840/2017 दिनांक 10.07.2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यापरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) के अन्तर्गत जनपद बुलन्दशहर में दिल्ली-कानपुर मार्ग (एन0एच0-91) के किमी0 60 (चैनेज 59.180) की दांयी पटरी के किनारे ग्राम लालपुर के खसरा संख्या-165 में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो0 लि0 के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.1689245 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति से सम्बन्धित प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत उपलब्ध कराया गया है।

2- अतः विषयगत प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by आशीष तिवारी

Date: 16-08-2023 17:56:36

Reason: Approved

(आशीष तिवारी)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत किये गये उल्लंघन के सम्बन्ध में भारत सरकार की गाईडलाइन दिनांक 29.01.2018 के तहत निम्नानुसार कार्यवाही कराते अपनी सुस्पष्ट संस्तुति सहित आख्या/अभिलेख शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. वन संरक्षक मेरठ वृत्त मेरठ।
3. प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग बुलन्दशहर।
4. मुख्य क्षेत्रीय प्रवन्धक हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो0 लि0 आगरा।
5. गाई फाइल।